

कार्यालय-जनपद न्यायाधीश, बस्ती।

संख्या: 45 / नजारत / नीलामी नोटिस, दिनांकित-10.03.2026

नीलामी नोटिस

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि **वित्तीय वर्ष 2026-2027** के लिये, जनपद न्यायालय, बस्ती परिसर में स्थित निम्नलिखित स्थल/दुकान की नीलामी हेतु सार्वजनिक नीलामी दिनांक-**24.03.26, दिन मंगलवार को सायं 04.00 बजे जनपद न्यायालय, बस्ती के वीडियो कान्फ्रेंसिंग हाल** में नीलामी समिति की देखरेख में सम्पन्न की जायेगी।


क्रम सं०	प्रस्तावित स्थल/दुकान, जिसकी नीलामी होनी है।	क्षेत्रफल	टिप्पणी
01.	कम्प्यूटर टाइपिंग की दुकान हेतु स्थल (गेट नं०-1 के बगल)	08 फिट चौड़ा एवं 12 फिट लम्बा	
02.	चाय, मिठाई, नमकीन आदि की दुकान हेतु स्थल (गेट नं०-1 के बगल)	37 फिट चौड़ा एवं 15 फिट लम्बा	
03.	चाय, मिठाई, नमकीन आदि की दुकान हेतु स्थल (वकालतखाना बाउंड्री के अंदर)	34 फिट चौड़ा एवं 14 फिट लम्बा	
04.	चाय, मिठाई, नमकीन आदि की दुकान हेतु स्थल (डी०जी०सी० किमनल कार्यालय के बगल)	30 फिट चौड़ा एवं 32 फिट लम्बा	
05.	फोटोस्टेट की दुकान (गेट नं०-3 के बगल)	08 फिट चौड़ा एवं 13 फिट लम्बा	
06.	चाय, मिठाई, नमकीन आदि की दुकान हेतु स्थल (गेट नं०-3 के बगल)	24 फिट चौड़ा एवं 24 फिट लम्बा	
07.	ठेले पर जूस बेचने का ठेका (डी०जी०सी० सिविल कार्यालय के बगल)	7 फिट चौड़ा एवं 10 फिट लम्बा	
08.	फोटोस्टेट की दुकान (डी०जी०सी० सिविल कार्यालय के बगल)	9.3 फिट चौड़ा एवं 15 फिट लम्बा	
09.	चाय, मिठाई, नमकीन आदि की दुकान हेतु स्थल (डी०जी०सी० सिविल कार्यालय के बगल)	14 फिट चौड़ा एवं 30 फिट लम्बा	
10.	साइकिल स्टैंड का ठेका (गेट नं०-4 के सामने)	77 फिट चौड़ा एवं 6.8 फिट लम्बा	

उपरोक्त स्थल/दुकान की नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों/ठेकेदारों को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा-


01. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को मु० 200.00 नकद प्रति फार्म की दर से नजारत कार्यालय से दिनांक **11.03.26 से 18.03.26 तक** किसी भी कार्यालय दिवस में नीलामी फार्म प्राप्त करना होगा।
02. नीलामी में उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति को नीलामी धनराशि का **25 प्रतिशत राशि** अविलंब जमा करना होगा।
03. प्रत्येक स्थल/दुकान हेतु ठेकेदार को जमानत राशि के रूप में मु० 20,000.00 रुपये नकद प्रति फार्म पर नीलामी फार्म के साथ दिनांक **19.03.26 से 23.03.26 तक** किसी भी कार्यालय दिवस में जमा करना होगा।
04. प्रत्येक स्थल/दुकान अथवा ठेके के लिये अलग-अलग नीलामी फार्म प्रस्तुत करना होगा।
05. जमानत की राशि, नीलामी अवधि समाप्त होने के पश्चात वापस की जायेगी।
06. किसी भी व्यक्ति/ठेकेदार को नीलामी स्वीकृत करने, अस्वीकृत करने अथवा बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार, माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, बस्ती को होगा।
07. आवंटी को प्राप्त स्थल/दुकान दिनांक **31.03.27 तक** प्रभावी माना जायेगा। आवंटी को इस आशय की अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी कि वह आवंटन अवधि के समाप्ति पर दुकान से संबंधित समस्त सामग्रियों/उपस्करों को स्वतः हटा लेंगे।

.....2


इस नोटिस/सूचना की छायाप्रतियां विस्तृत प्रचार-प्रसार हेतु केन्द्रीय नाजिर को निर्देशित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, बस्ती के विभिन्न नोटिस बोर्डों, जिला अधिकारी बस्ती, पुलिस अधीक्षक बस्ती, विकास भवन, तहसील सदर, जिला सूचना अधिकारी, बस्ती, जिला योजना कार्यालय बस्ती, प्रधान डाकघर, रेलवे स्टेशन व रोडवेज बस्ती आदि समस्त राजकीय कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करायी जाये तथा माननीय उच्च न्यायालय के वेबसाइट पर भी अंकित कराया जाए।


10/3/26
(तन्मय आकाश)


सदस्य नीलामी समिति
न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय,
बस्ती।


10/3/26
(संदीप)

सदस्य नीलामी समिति
सिविल जज सी०डि०,
बस्ती।


10/3/26

(विजय कुमार कटियार)
सदस्य नीलामी समिति
अति० जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
फास्ट ट्रेक्ट कोर्ट द्वितीय, बस्ती।


10/3/26
(शिवचन्द्र)

अध्यक्ष नीलामी समिति
अति० जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बस्ती।

Seen


District Judge
Basti.